

सस्ती बजिली उत्पादन के लिये प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

- 12 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में सस्ती बजिली मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- पंप स्टोरेज पॉलिसी से राज्य की नदियों पर परियोजनाएँ लगाने वालों को जहाँ राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं उन्हें स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी।
- पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बजिली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बजिली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बजिली की भारी मांग (बाज़ार में महंगी बजिली) होगी, तब परियोजना से बजिली उत्पादन किया जाएगा।
- प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिये अंतःराज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास नधि, नशुल्क रॉयल्टी वदियुत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, नकिसी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिये सरकल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी।
- ऊर्जा सचिव ने बताया कि नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं में कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये परियोजनाएँ 45 साल के लिये होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी।
- नदियों पर चनिहति क्षेत्रों में परियोजना बनाने में नजि नविशकों का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। वह अपने स्तर से स्थान चनिहति करके सरकार के सामने प्रस्ताव भी ला सकते हैं।
- ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएँ भी लगाई जा सकेंगी। सभी तरह की स्वीकृतियाँ मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना का निर्माण करना होगा।
- वदियों से आने वाली लक्विफाइड गैस की तरज पर अब राज्य के उधम सहि नगर ज़िले के काशीपुर में स्थिति दो गैस आधारति बजिली प्लांट के लिये आने वाली सीएनजी पर भी वैट शून्य होगा।
- इससे गैस आधारति प्लांट संचालति हो सकेंगे और प्रदेश में बजिली आपूर्तकी कमी को दूर किया जा सकेगा। इनसे बनने वाली बजिली भी सस्ती होगी।